



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना बढापुर**

दिनांक 12.07.2025

थाना बढापुर पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 12.07.2025 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1.सरजीत सिंह उर्फ सीतु पुत्र रूप सिंह 2.बलवेन्द्र सिंह उर्फ बुद्धी पुत्र मंगल सिंह, 3.लखवेन्द्र उर्फ लक्खी पुत्र मंगल सिंह नि0गण ग्राम वीरभानवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर 4.जगीर सिंह पुत्र बख्तार सिंह निवासी भोगपुर रेडियो थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

- 1.सरजीत सिंह उर्फ सीतु पुत्र रूप सिंह नि0 ग्राम वीरभानवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 2.बलवेन्द्र सिंह उर्फ बुद्धी पुत्र मंगल सिंह, नि0 ग्राम वीरभानवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 3.लखवेन्द्र उर्फ लक्खी पुत्र मंगल सिंह नि0 ग्राम वीरभानवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 4.जगीर सिंह पुत्र बख्तार सिंह निवासी भोगपुर रेडियो थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 50 मुकुल कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 1140 अंकित कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
- 4.आरक्षी 1922 श्याम कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
- 5.महिला आरक्षी 2613 अंजू रानी थाना बढापुर जनपद बिजनौर।



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना शेरकोट**

दिनांक 12.07.2025

थाना शेरकोट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 119/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी किये गये मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 12.07.2025 को वादी श्री अमित कुमार पुत्र परमा सिंह निवासी मौ0 निकम्माशाह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि दिनांक 11.07.2025 की रात्रि में अभियुक्त नदीम पुत्र नफीस निवासी मौ0 हकीमान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर से वादी का मोबाइल फोन (पोको कम्पनी) का चोरी कर लिया गया। इस संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 119/25 धारा 305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



कार्यवाही—

आज दिनांक 12.07.2025 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त नदीम पुत्र नफीस निवासी मौ0 हकीमान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को चोरी किये गये मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. नदीम पुत्र नफीस निवासी मौ0 हकीमान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण—

1. एक मोबाइल फोन (पोको कम्पनी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1.उ0नि0 विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 993 आकाश धामा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नहतौर**

दिनांक 12.07.2025

थाना नहतौर पुलिस ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अवैध शस्त्र के साथ वायरल वीडियो से संबंधित अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 11.07.2025 को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक युवक का अवैध शस्त्र के साथ वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गई तो उक्त युवक की पहचान अमन पुत्र दयाराम निवासी मौ० नौधा कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर के रूप में हुई।

आज दिनांक 12.07.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमन पुत्र दयाराम निवासी मौ० नौधा कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 184/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. अमन पुत्र दयाराम निवासी मौ० नौधा कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

1— एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ०नि० श्री अशोक मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 2.मुख्य आरक्षी 131 शरद पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 749 राजदीप सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नहतौर

दिनांक 12.07.2025

थाना नहतौर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर यूजर आइडी sachin_jatav_up_20___ द्वारा आपत्तिजनक कमेंट किया गया। उक्त पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गई तो उक्त युवक की पहचान सचिन पुत्र स्व० धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तकीपुरा थाना नहतौर जनपद बिजनौर के रूप में हुई। इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 183/25 धारा 270/302 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 12.07.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त सचिन पुत्र स्व० धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तकीपुरा थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. सचिन पुत्र स्व० धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तकीपुरा थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ०नि० श्री भारत सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 1276 राहुल यादव थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 12-07-2025

**थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 591/25 धारा 191(2)/115(2)/351(2) बीएनएस में
वांछित 04 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त कार सहित किया गिरफ्तार ।**

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.07.2025 को वादिया श्रीमती नईमा पत्नी इरफान निवासी कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 07.07.2025 को अभियुक्त फैसल पुत्र सलीम निवासी कांशीराम कलौनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर अपने 04 साथियों के साथ वादिया के पुत्र तालिब को घर से शराब पिलाने के बहाने बुलाकर अपने साथ कार में ले गया था ।



फैसल उपरोक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादिया के पुत्र को नशा देकर उसके साथ मारपीट की, जिसकी वीडियो फैसल उपरोक्त ने अपने मोबाइल फोन में बनाई है ।

इस संबंध में वादिया की तहरीर के आधार पर दिनांक 10.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 591/25 धारा 191(2)/115(2)/351(2) बीएनएस बनाम फैसल व अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में 03 अभियुक्तगण 1.समीर पुत्र अनीश निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2. आदिल पुत्र शौकत निवासी ग्राम मुबारकपुर तालान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व 3.रिजवान पुत्र लियाकत निवासी ग्राम मुबारकपुर तालान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए ।

कार्यवाही विवरण-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 04 अभियुक्तगण 1. समीर पुत्र अनीश 2. फैसल पुत्र सलीम निवासीगण कांशीराम कलौनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3. आदिल पुत्र शौकत व 4. रिजवान पुत्र लियाकत निवासीगण ग्राम मुबारकपुर तालान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है तथा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. फैसल पुत्र सलीम निवासी कांशीराम कलौनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. समीर पुत्र अनीश निवासी काशीराम कलौनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. आदिल पुत्र शौकत निवासी ग्राम मुबारकपुर तालान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. रिजवान पुत्र लियाकत निवासी ग्राम मुबारकपुर तालान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

घटना मे प्रयुक्त कार (रजि० सं०- DL3CBV0253)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. म०उ०नि० ममता तेवतिया थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. का० 1198 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. का० 2617 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर